# न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 04/2015

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| तकीया पीरजी वाके पारासरा जरिये जायरीन मुनीर खां पुत्र बलूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढूढीवास पोस्ट ताउसर तहसील व जिला नागौर। | | 1मांगीलाल पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी पारासरा तहसील मुण्डवा।<br>2ओमप्रकाश पुत्र भगवानदास जाति ब्राह्मण निवासी भूरावाडी नागौर<br>3लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानदास जाति ब्राह्मण निवासी भूरावाडी नागौर<br>4भगवती देवी पत्नी भगवानदास जाति ब्राह्मण निवासी भूरावाडी नागौर।<br>5सजना पत्नी मिसाराम जाति राईका निवासी पारासरा तहसील मुण्डवा।<br>6राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। |

उपस्थिति–

1– श्री मोहम्मद आरीफ खान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 की ओर से।

3– श्री कुंदनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।

## आदेश

दिनांक 20.2.2020

(1) प्रार्थी तकीय पीरजी वाके पारासरा जरिये जायरीन मुनीर खां पुत्र बलूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढूढीवास पोस्ट ताउसर तहसील व जिला नागौर द्वारा रेफरेन्स अधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम पारासरा के साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30.03 बीघा हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा भूमि को डोली बनाम तकीया पीरजी पारासरा की खातेदारी मे पुनः दर्ज करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 3 को नोटिस जरिये रजि. पत्र भेजा गया, जो बाद इन्कारी के दिनांक 16.03.16 को लौटा है। अप्रार्थी नं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 5 की ओर से श्री भंवरलाल पोटलिया एडवोकेट दिनांक 16.3.16 को उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 को रजि. पत्र द्वारा नोटिस भेजे गये, जो निर्धारित अवधि मे उपस्थित नही होने से उनकी तामील दिनांक 4.5.16 को पर्याप्त मानी गई है। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से जवाब दिनांक 20.2.17 को प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी द्वारा नकल खतौनी मिसल बंदोबस्त संवत 2006 ग्राम पारासरा खसरा नं. 152, नकल खतौनी ग्राम पारासरा संवत 2013–20, खसरा नं. 152, नकल जमाबंदी ग्राम पारासरा संवत 2058 से 61 खसरा नं. 152, नकल खतोनी संवत 2020 भू प्रबन्ध विभाग ग्राम पारासरा खसरा नं. 152, नकल जमाबंदी ग्राम पारासरा संवत 2020, 2034–37, 2042–45, नकल जमाबंदी ग्राम पारासरा संवत 2050–53, 2058–61, 2066–69, मिलान क्षेत्रफल संवत 2020, म्यूटेशन सं. 273, 388, नमूना नक्शा जिसमे वक्फ संबंधी जानकारी दर्ज की जायेगी की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 13.9.19 को प्रस्तुत की गई।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा तर्क दिया कि–



अपर कलक्टर, नागौर

2(1) प्रार्थी ग्राम ढूढीवास तहसील व जिला नागौर राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा ग्राम पारासरा स्थिति तकीया पीरजी मे अटूट आस्था रखता है तथा तकीया पीरजी समन्द बाबा वाके पारासरा को मानता है उनकी हर जुम्मेरात जाकर जियारत करता है, फातिया खानी भी करता है। प्रार्थी एक मुस्लिम है और आस्तिक है तथा तकीया पीरजी वाके पारसरा का मुरीद है तथा समय समय पर तकीया पीरजी वाके पारासरा के जियारत, फातियाखानी, अगरबती व ईबादत इत्यादि करता आया है। प्रार्थी तकीया पीरजी समंद बाबा वाके पारासरा नाबालिग अजर अमर है व कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र लाने मे सक्षम नही है। चूंकि प्रार्थी मुनीर खां उक्त तकीया पीरजी बाब समन्द वाके पारासरा का मुर्सिद है तथा भक्त होने से प्रार्थी का संरक्षक नेक्स्ट फ्रेन्ड है। प्रार्थी मुनीरखां का तकीया पीरजी समन्द बाबा वाके पारासरा के हितो से विपरीत कोई हित नही है व दोनो का एक समान हित होने से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र लाने व पेश करने हेतु सक्षम है व अधिकारी है।

2(2) ग्राम पारासरा तत्कालीन तहसील नागौर हाल तहसील मुण्डवा मे स्थित पुराने खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि डोली बनाम तकीया पीरजी वाके पारासरा के नाम से खातेदारी व कब्जासुद भूमि रहती चली आई है। तत्कालीन जागीरदार द्वारा धार्मिक भावना से प्रेरित होकर तत्समय धार्मिक मूर्तियो, तकियो, दरगाहो, संतो इत्यादि के लिये माफी की डोलिया दान स्वरूप दिये जाने के क्रम मे तकीया पीरजी पारासरा की डोली के खेत साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा संवत 2006 से पहले से ही डोली बनाम तकीया पीरजी समन्द बाबा, पारासरा के रहते चले आये है जो खेताय तकीया पीरजी समन्द बाबा, पारासरा को दे दिये थे व इसकी काश्त से मिलने वाली बिगोडी, तिजारा व पैदावार व हासल तकीया पीरजी, पारासरा के जरिये सेवा पूजा हेतु व रख रखाव हेतु खर्च होने लगी तथा संवत 2006 से लेकर उसके बाद लगातार गत बंदोबस्त व उसके बाद तक उक्त डोली साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके पारासरा तहसील मुण्डवा बनाये गये है जो शुरू से ही प्रार्थी तकीया पीरजी समन्द, पारासरा की भूमि रही है व इस पर राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही मूर्ति की काश्त होने से इस पर डोली बनाम तकीया पीरजी, पारासरा का इन्द्राज लगातार होते रहे व होते आये है। इस तकीया पीरजी, पारासरा का मुनीरखां भक्त रहता चला आया है वहां पर ईबादत करता है। उपरोक्त खेताय कदीम से प्रथम सेटलमेंट से डोली बनाम तकीया पीरजी, पारासरा के खातेदारी के रहते चले आये है।

2(3) उपरोक्त साबिका खसरा नं. 152 जिनके हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके पारासरा तहसील मुण्डवा बनाये गये है लेकिन अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. सूरजमल वगैरा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर या उन्हे अंधेरे मे रख कर वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्मचारियो एवं अधिकारियो को अंधेरे मे रखते हुए षडयंत्र कर डोली बनाम तकीया पीरजी वाके पारासरा की भूमि को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवा ली। सेटलेमेंट अधिकारियो को डोली की जमीन को किसी की खातेदारी मे दर्ज करने का कतेई अधिकार नही था। सेटलमेंट अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खातेदारी अधिकारो को परिवर्तन करने का कोई कानूनी

अपर कलक्टर, नागौर



न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

अधिकार नही था। जिससे वक्त सेटलमेंट डोली की भूमि मे सूरजमल का नाम दर्ज करना शुरू से ही अवैध एवं शून्य है।

2(6) तकीया पीरजी पारासरा पूर्ण रूप से नाबालिग की तरह कानून मे मान्य किये जाते रहे है जिनकी डोली के खेताय पर कानूनन किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई हक हकूक खातेदारी किसी कदर भी हासिल नही हो सकते। सेटलमेंट अधिकारियो एवं कर्मचारियो को इस प्रकार डोली बनाम तकीया पीरजी के खेताय को किसी अन्य के खातेदारी मे दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। परंतु सेटलमेंट कर्मचारियो ने गलत रूप से अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. सूरजमल के खाते मे दर्ज कर दी गई। जिसका बाद मे गलत रूप से उतरोतर खातेदारी दर्ज होती रही व उतरोतर बेचान आदि होकर रेकर्ड मे गलत इन्द्राजात होते गये है। जबकि कानूनन अप्रार्थीगण उपरोक्त खेताय मे कोई हक अधिकार नही रखते है। अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी इन्द्राज शुरू से ही अवैध एवं शून्य थे व है।

2(7) डोली बनाम तकीया पीरजी वाके पारासरा तहसील मुण्डवा के तमाम उपरोक्त खेताय डोली तकीया पीरजी के रहे है तथा तकीया पीरजी पारासरा के ही कब्जे काश्त व खातेदारी के रहे है। अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा इन खेताय मे नही रहा है।

2(8) अप्रार्थीगण द्वारा अभी हाल ही मे डोली बनाम तकीया पीरजी वाके पारासरा के खेतो को बेचने पर आमादा होने व ऐसी चर्चा गांव मे सुनने पर प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि अप्रार्थीगण के पूर्वज सूरजमल ने वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्मचारियो से मिलावट कर डोली की भूमि की खातेदारी गलत एवं अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली। इसलिये डोली की भूमियो को पुनः डोली बनाम तकीया पीरजी पारासरा तहसील मुण्डवा के खातेदारी मे दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया।

2(9) प्रार्थी के लिये हर प्रकार से प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण के हक मे किये गये इन्द्राजात निरस्त किये जाकर प्रार्थी की खातेदारी की घोषणा करवायी जाने व राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती करवायी जाकर साबिका खसरा नं. 152 जिनके हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके पारासरा तहसील मुण्डवा बनाये गये है, को प्रार्थी तकीया पीरजी पारासरा की खातेदारी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर विवादित डोली पर जरिये नेक्स्ट फ्रेन्ड तकीया पीरजी पारासरा की काश्त करवायी जाने हेतु व सहायता दी जाने एवं न्यायोचित आज्ञा दी जाने हेतु भी प्रार्थना है। अप्रार्थीगण कभी भी निजी अथवा भौतिक रूप से काश्त नही किया न ही आज दिन इनका भौतिक अथवा विधिक कब्जा है न ही अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थी तकीया पीरजी पारासरा की डोली पर अधिकार पूर्वक काश्त करने के ही अधिकारी है। अप्रार्थीगण तमाम परिस्थितियो मे अपने रिश्तेदारो के जरिये वादग्रस्त डोली पर नाजायज रूप से काश्त कर तकीया पीरजी पारासरा की खातेदारी की उपज से प्रार्थी मूर्ति को महरूम रखना चाहते है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी तकीया पीरजी पारासरा को अप्रार्थीगण तमाम के विरूद्व वादग्रस्त डोली पर प्रार्थी के कब्जा मे हमेशा हमेशा के लिये दखलअंदाजी नही करने हेतु न्यायोचित आज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2(10) रेफरेन्स मे मियाद का बिन्दु लागू नही होता है। इसलिये रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मंडल अजमेर को रेफर कर उपरोक्त खेताय को पुनः डोली बनाम



अपर कलक्टर, नागौर

तकिया पीरजी वाके पारासरा के खातेदारी मे दर्ज करने की सिफारिश की जाना न्याय संगत है।

3 वकील अप्रार्थी सं. 5 की ओर से बताया गया कि –

3(1) प्रार्थी कभी भी पारासरा स्थित तकिया पीरजी मे आस्था नही रखता था व न कभी उस स्थल पर गया और न ही कभी कोई भी व्यक्ति जुम्मेरात जाकर वहां जियारत करता है, वहां किसी भी प्रकार से कोई स्थान नही है और न ही तकिया पीरजी पारासरा का प्रार्थी मुरीद है। प्रार्थी को यह रेफरेन्स पेश करने का कतई अधिकार नही है, न ही प्रार्थी इस हेतु सक्षम ही है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन तकिया पीरजी वाके पारासरा का खसरा नं. 152 की भूमि से कोई सरोकार नही है।

3(2) यह गलत है कि ग्राम पारासरा तत्कालीन तहसील नागौर हाल तहसील मुण्डवा मे स्थित पुराने खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि डोली बनाम तकिया पीरजी वाके पारासरा के नाम से खातेदारी व कब्जासुद भूमि रहती चली आयी हो। खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि सदैवा से ही काबिल काश्त भूमि रही थी व उसके खातेदारी इन्द्राज शुरू से ही भिन्न भिन्न काश्तकारो के नाम से रहते चले आये है, न ही कभी तकिया पीरजी वाके पारसरा की ओर से किसी भी व्यक्ति का खसरा नं. 152 पर कब्जा व काश्त रहा। संपूर्ण तथ्य मनगढंत है, वर्षो पुराने गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी ने रेफरेन्स उतरदाता को ब्लेकमेल करने की नियत से गलत पेश किया है।

3(3) यह गलत है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा धार्मिक भावना से प्रेरित होकर तत्समय धार्मिक मूर्तियो, तकियो, दरगाहो, संतो इत्यादि के लिये माफी की डोलिया दान स्वरूप दिये जाने के क्रम मे तकिया पीरजी पारासरा की डोली के खेत साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा संवत 2006 से पहले ही डोली बनाम तकिया पीरजी समन्द बाबा, पारासरा के रहते चल आये हो, यह भी गलत है कि जो खेताय तकिया पीरजी समन्द बाबा, पारासरा को दे दिये थे व इसकी काश्त से मिलने वाली बिगोडी, तिजारा व पैदावार व हासल तकिया पीरजी, पारासरा के जरिये सेवा पूजा हेतु व रखरखाव हेतु खर्च होने लगी हो तथा यह भी गलत है कि संवत 2006 से लेकर उसके बाद लगातार गत बंदोबस्त व उसके बाद तक उक्त डोली साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके पारासरा तहसील मुण्डवा बनाये गये हो, जो शुरू से ही प्रार्थी तकिया पीरजी समन्द, पारासरा की भूमि रही हो, यह भी गलत है कि इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही मूर्ति की काश्त होने से इस पर डोली बनाम तकिया पीरजी पारासरा का इन्द्राज होते रहे हो व होते आये हो। इस तकिया पीरजी पारासरा का मुनीर खां भक्त रहता चला आया हो, वहां इबारत करता हो।

3(4) यह गलत है कि उपरोक्त साबिका खसरा नं. 152 जिनके हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके पारासरा तहसील मुण्डवा बनाये गये है लेकिन अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. सूरजमल वगैरा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर या उन्हे अंधेरे मे रखकर वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्मचारियो व अधिकारियो को अंधेरे मे रखते हुए षडयंत्र कर डोली बनाम तकिया पीरजी वाके पारासरा की भूमि को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवा ली हो तथा

अपर कलक्टर, नागौर

सेटलमेंट अधिकारियो को डोली की जमीन को किसी की खातेदारी मे दर्ज करने का कतई अधिकार नही हो तथा सेटलमेंट अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खातेदारी अधिकारो को परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही था, यह भी गलत है कि जिससे वक्त सेटलमेंट डोली की भूमि मे सूरजमल का नाम दर्ज करना शुरू से ही अवैध एवं शून्य है।

3(5) साबिका खसरा नं. 152 उसके हाल खसरा नं. भी 152 है। उसका रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा बनाये गये, अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. सूरजमल वगैरा ने राजस्व कर्मचारियो से मिलावट करके या उनको अंधेरे मे रखते हुए षडयंत्र पूर्वक अपने नाम से तकीया पीरजी वाके पारासरा की भूमि को खातेदारी मे दर्ज करवा लिया, जबकि न ही सेटलेमेंट अधिकारियो को व न ही मांगीलाल के पूर्वज को खातेदारी अधिकार परिवर्तन करवाने का अधिकार था। इसलिये यह खातेदारी परिवर्तन शुरू से ही अवैध एवं शून्य है व रहा है।

3(6) डोली माफी, मूर्ति इत्यादि की जमीन शावत नाबालिग की श्रेणी मे आते है और उनको कानूनन नाबालिग के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इस प्रकार डोली इत्यादि के खेताय पर कानूनन किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण करने का अधिकार नही है। न ही अन्य किसी को विक्रीत करने का अधिकार है। न ही ऐसे हस्तान्तरण से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त होते है। परंतु सेटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो ने डोली बनाम तकीयाजी के खेताय को किसी अन्य को खातेदारी के रूप मे दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। किन्तु अप्रार्थीगण के पूर्वज असर व सेटलमेंट कर्मचारियो की मिलावट से अप्रार्थी के पूर्वजो के खाते मे गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात उतरोतर इस गलत रिकार्ड में इन्द्राजात होते रहने के कारण बेचान इत्यादि होते रहे। जबकि अप्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि मे कोई हक अधिकार था ही नही था। अप्रार्थीगण के नाम का खातेदारी मे इन्द्राज शुरू से ही अवैध व शून्य था व है।

3(7) उक्त खातेदारी शुरू से ही डोली बनाम तकिया पीरजी के नाम से दर्ज थी व संवत 2006 से 2020 तक इसी नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रही तथा बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर, राज. के रेकर्ड मे भी उक्त डोली दर्ज रही व है जिससे साफ जाहिर होता है कि उपरोक्त खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा शुरू से ही डोली बनाम तकिया पीरजी के नाम दर्ज रही है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण तमाम द्वारा जो भी गलत रूप से इन्द्राज, बेचान किया गया है। शुरू से ही अवैध व शून्य रहा है। क्योकि कानून की मंशा यही है कि जो कार्य शुरू से ही अवैध व शून्य हो, वे अंत तक अवैध व शून्य ही रहता है। इस प्रकार के कृत्य से कोई भी किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।

3(8) आवेदन मे अंकित भूमि कभी भी पीरजी नाबालिग की डोली कभी नही रही एवं प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि डोल के खेताय पर कानूनन किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई हक हकूक खातेदारी किसी कदर भी हासिल नही हो सकते, जब आवेदन मे अंकित खेत कभी भी डोली का खेत रहा ही नही एवं हमेशा से खातेदारी का खेत रहा एवं खेत काबिल काश्त था, तब खातेदारी इन्द्राज को बदलने की बात कतई गलत है एवं अस्वीकार है। सेटलमेंट अधिकारियो ने खातेदार काश्तकार का कब्जा काश्त गिरदावरी मे दर्ज किया है एवं

अपर कलक्टर, नागौर



न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

काश्तकार से बिगोडी वसूल की है, उसी के आधार पर सेटलमेंट कर्मचारियो ने खातेदारी इन्द्राज किया है। सेटलमेंट कर्मचारियो ने सूरजमल के खाते मे भूमि सही दर्ज की है एवं काश्तकारी कानून के अधीन संवत 2012 से पहले अगर किसी का कब्जा व काश्त था व उसने बिगोडी अदा की है तो वह खातेदार काश्तकार है।

3(9) भूमि पर कभी भी किसी भी डोलीदार अथवा किसी भी नाबालिग शाश्वत का कब्जा नही रहा, शुरू से ही सूरजमल के पूर्वज खातेदार काश्तकार थे एवं अंततः उक्त भूमि ओमप्रकाश एवं लक्ष्मीनारायण पुत्रगण भगवानदास व भगवती देवी पत्नी रामकुमार ब्राह्मण के नाम से खातेदारी मे दर्ज हुई, उक्त भूमि को मुझ सजना अप्रार्थी ने खरीद ली एवं प्रार्थिनी बोनाफाइड परचेजर है, प्रार्थी ने कभी भी चालीस वर्षो से अधिक समय तक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राज को चेलेंज नही किया, साक्ष्य विधि के अनुसार तीस वर्ष तक कोई दस्तावेज है और उसे चेलेंज नही किया जाता है तो उस दस्तावेज की सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता, जिससे मुझ बोनाफाइड परचेजर की खातेदारी मे किसी भी प्रकार से एक स्ट्रेंजर को हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है, रेफरेन्स मियाद बाहर है।

3(10) खातेदारी के इन्द्राज का प्रार्थी को शुरू से ही जानकारी थी एवं पीरजी पारासरा के नाम भूमि कभी नही थी, इन संपूर्ण तथ्यो की जानकारी प्रार्थी को थी।

3(11) प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा वाके मौजा पारासरा की भूमि को मुझ अप्रार्थी से छीनकर नेक्स्ट फ्रेन्ड तकिया पीरजी पारासरा की काश्त बताई जाकर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया है, जो कतई गलत है। इस भूमि पर कभी भी किसी डोलीदार का अथवा किसी पीरजी पारासरा का कब्जा काश्त नही रहा, न आज ही है। न ही मुझ बोनाफाइड परचेजर की भूमि पर अन्य को काश्त करने का अधिकार है। प्रार्थी ने भूमि पर मुझ प्रार्थी द्वारा नाजायज कब्जा करने के तथ्य गलत अंकित किये है। मुझ अप्रार्थी ने भूमि 22.07.02 को खरीद की थी एवं भूमि पर कब्जा मुझ अप्रार्थी का है, राजस्व रेकर्ड खतौनी मे भी भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज है।

3(12) प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि रेफरेन्स मे मियाद का बिन्दु लागू नही होता, माननीय उच्च न्यायालय के बहुत से न्यायिक दृष्टांत है, जिसमे इतने लंबे समय बाद रेफरेन्स की कार्यवाही को मियाद बाहर माना है।

3(13) भूमि पर लगातार सैकडो वर्षो से खातेदार काश्त कर रहे है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फोर्स मे आने पर खातेदारो को खातेदारी अधिकार मिले, उक्त भूमि पर कभी भी खातेदार के अलावा अन्य किसी का कब्जा नही रहा। अप्रार्थिया बोनाफाइड परचेजर है। इतने लंबे समय बाद रेफरेन्स मियाद बाहर है।

3(14) प्रार्थी मुनीर खां का संबंध किसी भी तकिया पीरजी से नही है, जिससे प्रार्थी को आवेदन पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है, प्रार्थी ने मात्र मुझ अप्रार्थी को ब्लेकमेल करने के लिये व रू. ऐठने के लिये यह रेफरेन्स पेश किया है।

3(15) इस भूमि पर कभी भी किसी डोलीदार का अथवा नाबालिग का कब्जा नही रहा है। जिससे रेफरेन्स के जरिये मुझ अप्रार्थी से भूमि का कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार नही है।



अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

3(16) ग्राम पारासरा तत्कालीन तहसील नागौर हाल तहसील मुण्डवा मे स्थित पुराने खसरा नं. 152 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा की भूमि पर कभी भी तकिया पीरजी वाके पारासरा की भूमि नही रही। उक्त भूमि की बिगोडी शुरू से ही सूरजमल के पूर्वज खातेदार काश्तकार देते थे एवं अंततः उक्त भूमि ओमप्रकाश एवं लक्ष्मीनारायण पुत्रगण भगवानदास व भगवती देवी पत्नी रामकुमार ब्राह्मण के नाम से खातेदारी मे दर्ज हुई, उक्त भूमि को मुझ सजना अप्रार्थी ने खरीद ली एवं प्रार्थिनी बोनाफाइड परचेजर है, प्रार्थी ने कभी भी चालीस वर्षो से अधिक समय तक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राज को चेलेंज नही किया, साक्ष्य विधि के अनुसार तीस वर्ष तक कोई दस्तावेज है और उसे चेलेंज नही किया जाता है तो उस दस्तावेज की सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता, जिससे मुझ बोनाफाइड परचेजर की खातेदारी मे किसी भी प्रकार से एक स्ट्रेंजर को हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है, रेफरेन्स मियाद बाहर है तथा डोली तकिया पीरजी नाम का स्थान ग्राम पारासरा मे नही है।

3(17) काश्तकारी कानून लागू हुआ, संवत 2012 से पूर्व से सूरजमल व उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त था, बिगोडी सूरजमल के पूर्वज देते थे, जिससे तत्कालीन काश्तकारी कानून अनुसार खातेदारी मिल गई व मुझ अप्रार्थी बोनाफाइड परचेजर है।

3(18) डोली माफिक मूर्ति की जब कोई भूमि नही रही। प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल के निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम खातेदारी अधिकारो को निरस्त करवाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये थी। जब तक खातेदारी अधिकार निरस्त नही हो जाते, तब तक किसी भी प्रकार का रेफरेन्स का मामला नही बनता है, प्रार्थी को इस तरह का रेफरेन्स लाने का कोई वेधानिक अधिकार नही है।

3(19) संवत 2006 से 2020 तक उक्त भूमि वक्फ बोर्ड की कभी नही रही। सूरजमल के वारिसो के नाम एवं उसके बाद बोनाफाईड परचेजर के नाम से रही है। प्रार्थी ने बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर राजस्थान के रेकर्ड मे डोली दर्ज होने का अंकन गलत दर्ज किया है। काश्तकारी कानून के अनुसार खातेदारी सही दर्ज की गई है।

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी मिसल बंदोबस्त संवत 2006 के अनुसार ग्राम पारासरा के खसरा नं. 152 डोली बनाम तकीया पीरजी बएतमाम दर्ज है। जो संवत 2020 तक दर्ज रही है। संवत 2020 नकल खतौनी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि सूरजमल वल्द रामाकिशन के नाम दर्ज की गई। जो जमाबंदी संवत 2034 से 2037 मे मांगीलाल पुत्र सूरजमल अप्रार्थी सं.1 के नाम से दर्ज हुई तथा साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30.03 बीघा से खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा बने। अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से 5 को जरिये बेचाननामा दिनांक 2.2.91 के बेचान किये जाने पर नामान्तरकरण सं. 273 के द्वारा उक्त खातेदारी भूमि इनके नाम से आयी। इन्होने जरिये बेचान दिनांक 22.4.02 के आराजी भूमि अप्रार्थिया सं. 5 सजना को बेचान किये जाने से नामान्तरकरण सं. 388 के द्वारा इनके नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। जो वर्तमान मे दर्ज है। नमूना नक्शा जिसमे वक्फ संबंधी जानकारी दी जाने से संबंधित प्रपत्र की नकल के अनुसार ग्राम पारासरा के खसरा नं. 152 रकबा 0.03 बीघा वक्फ जायदाद के रूप मे दर्ज है। ऐसी स्थिति मे आराजी भूमि डोली बनाम



अपर कलक्टर, नागौर

तकीया पीरजी संवत 2006 से दर्ज होना रेकर्ड से साबित है। जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल की खातेदारी मे दर्ज कर दिया। जिसके द्वारा बेचान किये जाने पर अप्रार्थी सं. 2 से 4 की खातेदारी मे दर्ज हुआ तथा अप्रार्थी सं.2 से 4 द्वारा बेचान किये जाने पर अप्रार्थी सं. 5 सजना की खातेदारी मे दर्ज हुआ है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। डोली बनाम तकीया पीरजी की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः डोली बनाम तकीया पीरजी की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

5 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पारासरा के साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30.03 बीघा के हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2020 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा पारासरा के साबिका खसरा नं. 152 रकबा 30.03 बीघा के हाल खसरा नं. 152 रकबा 29.08 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत डोली बनाम तकीया पीरजी के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर (राजस्थान)